महोदय,

(1) मामला योग्य है
(2) [illegible] प्रकार है
(3) क्षेत्राधिकार का है
(4) किसी भी उच्चतम न्यायालय का स्थगन नहीं है
(5) मामला पर कोई फीस पूर्ण है

आदेशार्थ [illegible]

उ0 [illegible]

11 3/16 डिक्रीदार मय वकील उप0। प्रकरण [illegible] [illegible] तहसीलदार [illegible] को [illegible] जारी होकर [illegible] 12.4.16 को पेश हो।

12 4/16 [illegible] पत्रावली दिनांक 21-6-16 को पेश हो।

4 5/16 पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण लोक अदालत/कैम्प कोर्ट में निस्तारण योग्य होने से पत्रावली लोक अदालत/कैम्प कोर्ट में [illegible] 6-6-16 को पेश हो।

6 6/16 आज यह पत्रावली कैम्प कोर्ट [illegible] में पेश हुई। डिक्री [illegible] के अनुसार डिक्री की पालना में [illegible] 1283 दिनांक 21-3-16 को दर्ज [illegible] हो चुका है [illegible] में कोई पालना अपेक्षित नहीं है अतः पत्रावली [illegible] जाकर [illegible] कैम्प कोर्ट में [illegible] जावे [illegible]

प्रमाणित प्रतिलिपि

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी: बलवन्तसिंह लिग्री आर.ए.एस

राजस्व वादपत्र सं0 324/2012 | दायरा दिनाक 28.12.2012 | निर्णय दिनांक 3.3.14

उनवान

1. जगदीश
2. सुभाष
3. दीवान पुत्रान लालसिंह जाति यादव
4. इन्दरपाल
5. जतनपाल पुत्रान रामकंवार
6. रामकंवार पुत्र ननवांराम यादव
7. महावीर पुत्र ननवांराम यादव
8. सारलीदेवी पत्नि महावीर
9. श्यामबीर पुत्र महावीद यादव जाति निवासी खेडकी हाल मानेसर तहसील मानेसर जिला गुडगावा हरियाना।

:– वादीगण

बनाम

1. लीलाराम पुत्र बुद्धा(फौत)

1/1 सोमदत

1/2 पूर्णसिंह

1/3 धर्मसिंह पुत्रान लीलाराम जाति गूर्जर निवासी खेडी तह0 कोटकासिम जिला अलवर राज0।

1/4 छोटा

1/5 धोली

1/6 सुमन पुत्रीयान लीलाराम निवासी खेडी तह0कोटकासिम जिला अलवर राज0

2. रोशन पुत्र हरफूल जाति गूर्जर निवासी खैडी तह0कोटकासिम जिला अलवर राज0
3. शाखा प्रबन्धक एस बी बी जे शाखा खैरथल।

:– प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज
वो अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

1. श्री मनोज यादव अधिवक्ता, वादीगण
2. श्री राकेशकुमार अधिवक्ता प्रतिवादी

निर्णय

वादीगण द्वारा एक वाद इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज व हुक्मइम्तनाई दवामी अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस न्यायालय में पेश किया। वाद में वादीगण की ओर से तथ्य इस प्रकार वर्णन किये हैं कि आराजी ख0नं0 52/0–12 बिस्वा, 61/2–14 बीघा कुल किता 2 रकबा 3–06 बीघा वाके ग्राम खेडी तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 मिन वादीगण की खरीद शुदा आराजी है। इस वाद में खसरा नम्बर 61/2–14 विवादित आराजी है। उपरोक्त आराजियात को वादीगण ने बाजाप्ता बाकायदा प्रतिफल राशि अदा कर प्रतिवादीगण से जरिये रजिस्टर्ड बयनामा संख्या 23 दिनांक 03.01.1996 को खरीद की है। वक्त खरीद से वादीगण आराजी दर्ज विक्रयपत्र पर काबिज वो दखिल चले आ रहे है। मौके पर आज भी कब्जा है। बयनामा के आधार पर नामान्तकरण खातेदारी सं0 354 दिनांक 29.01.1996 को विधिवत दर्ज व स्वीकार फरमाया हुआ है। जो बाद जांच विधिक प्रक्रिया पूर्ण होने पर स्वीकार हुआ है। इन्तकाल खातेदारी नामा0 सं0 354 के आधार पर चौसाला जमाबन्दी संवत 2054 में खसरा नम्बर 52/0–12 बिस्वा का इन्द्राज खातेदारी बहक वादीगण दर्ज कर दिया गया, किन्तु खसरा नम्बर 61/2–14 बीघा की बाबत इन्द्राज वादीगण के नाम दर्ज नहीं होकर पुनः प्रतिवादीगण के नाम सम्भाग का दर्ज कर दिया गया। जिस गलत इन्द्राज की ताहाल जमाबन्दीयात में पुनरावृति होती आ रही है। जबकि विवादित आराजी ख0नं0 61/2–14 बीघा को वादीगण सं0 1 से 3 ने समभाग 1/3, वादीगण सं0 4 सें 6 ने समभाग 1/3 भाग एवं वादीगण सं 7 से 9 ने समभाग 1/3 भाग के अनुपात में बाकब्जा खरीद किया है एवं बरोज खरीद से वादीगण आराजी पर काबज व दखिल चले आ रहे हैं। फसल बोते एवं दरों करते चले आ रहे हैं। वक्त दावा भी काबिज हैं। बाद बेचान प्रतिवादीगण 1, 2 का मुतनाजा आराजी या उसके किसी जुज भाग से वास्ता या सरोकार नही रहा, ना कब्जा रहा, किन्तु प्रतिवादीगण के नाम का अकंन खिलाफ मौका खिलाफ कानून दर्ज हो रहा है। जिसे वादीगण हजफ कराकर अपने नाम का अंकन बहैसियत खरीदार खातेदार दर्ज कराने के अधिकारी है। चूंकि प्रतिवादीगण के नाम का अंकन रहने से हकूक वादीगण समाप्त होते है एवं हकूक वादीगण पर आवरण छाने का अन्देशा है। अतः बाद दुरुस्ती वादीगण मुताबिक बयनामा एवं नामान्तकरण संख्या 354 के अपने नाम का अंकन बहैसियत खातेदार दर्ज कराने के अधिकारी है। इसलिऐ दावा इश्तकरारहक दायर करना लाजिम आया है। चूंकि वादीगण बाहर के निवासी है, जिन्हे हल्का पटवारी द्वारा मूल बयनामा लौटाते समय यह आश्वासन दिया कि इन्तकाल आपके नाम दर्ज व स्वीकार हो गया है। जिस विश्वास के साथ वादीगण को इस तथ्य का ज्ञान नहीं पाया। दिनांक 15.12.2012 को हल्का पटवारी द्वारा जानकारी दी कि आराजी खसरा नं0 61 की बाबत आपके

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (बलवर)

Scanned by CamScanner

नाम का इन्द्राज ना होकर बेचान कर्ताओ के नाम का चला आ रहा है तथा प्रतिवादीगणों ने यह जानते हुवे कि उन्होने मुतनाजा आराजी को बेचान कर दिया है, फिर भी पोशिदा तरीके से आराजी को प्रतिवादी सं0 3 के यहा बन्धक किया हुआ है जो कार्यवाही प्रतिवादीगण बाद दुरुस्ती अपने नाम का इन्द्राज खातेदारी दर्ज कराने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण सं 1 व 2 गैरवास्ता गैरकाबिज आराजी हैं किन्तु उनके नाम का गलत अंकन बाद बेचान जानबूझकर अथवा भूलवश राजस्व पत्रादि में दर्ज हो रहा है व आराजी पर बरोज खरीद से वादीगण सम्भाग में काबिज व दखिल है किन्तु प्रतिवादीगण बाला–बाला मुतनाजा आराजी को अन्यत्र रहन–बय बेचान करने की चेष्टा में है एवं उन्होने दिनांक 19.12.2012 को गलत इन्द्राज को दुरुस्त कराने से साफ मना कर दिया, यदि प्रतिवादीगण ने मुतनाजा आराजी को अन्यत्र मुन्तकिल कर हकूक वादीगण समाप्त कर दिये तो वादीगण को अजहद हानि होगी, जिसकी पूर्ति किसी प्रकार रुपयों में आंकी जाना सम्भव नहीं होगा। बेजा मुकदमें बाजी में लुटना व बर्बाद होना पडेगा। अतः वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा जारी कराकर पाबन्द करा पाने के अधिकारी हैं। दावा हाजा के लिऐ दिनांक 15.12.2012 जिस रोज उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी वादीगण को हल्का पटवारी ने दी तथा दिनांक 18.12.2012 को नकल जमाबन्दीयात लेकर 19.12.2012 को प्रतिवादीगण से मिले व गलत इन्द्राज को दुरुस्त कराने हेतु कहा तो उन्होने साफ मना कर दिया। जो तारीखें दावा हाजा के लिऐ बिनायदावी व बिनायमुखासमत पैदा करती है। जिससे वादी वादीगण मामूलन अन्दर अवधि पेश है। प्रतिवादी सं0 2 ने मुतनाजा आराजी को बाद बेचान बिला कब्जा यह जानते हुवे कि उसने आराजी को वादीगण को बेचान कर रखा है। प्रतिवादी नं0 3 के यहां बिला कब्जा बन्धक किया हुवा है इसलिऐ प्रतिवादी नं0 3 को तकमील वादी हेतू पक्षकार बनाया है। अतः बाद तहकीकात वाद–वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री इश्तकरारहक दुरुस्ती इन्द्राज पारित की जाकर करार दिया जावे कि वादीगण मुतनाजा आराजी के खरीददार खातेदार हैं एवं बयनामा क्रमांक 23 दिनाक 03.01.1996 विधिवत पंजीबद्ध होकर नामान्तकरण संख्या 354 दिनांक 29.01.1996 विधिवत बहक वादीगण दर्ज वो स्वीकार हुआ है। इसलिये जो इन्द्राज चौसाला जमाबन्दी संवत 2054 से ताहाल में प्रतिवादीगण के नाम का खिलाफ मौका कब्जा व खिलाफ कानून दर्ज हो रहा है, हजफ होने योग्य हैं। जिसे हजफ फरमाया जाकर वादीगण को बयनामा क्रमांक 23 एवं नामान्तकरण खातेदारी संख्या 354 दिनांक 29.01.1996 के आधार पर मुतनाजा आराजी पर खरीददार खातेदार दर्ज कराया जाकर इन्द्राज फरमाया जावे। एवं इस प्रकार की घोषणा वादीगण करा पाने के अधिकारी है। (ब) प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा इस अमर से पाबन्द फरमाया जावे कि वो मुतनाजा आराजी ख0 नं0 61/2–14 बीघा स्थित खेडी तहसील कोटकासिम को गलत अंकन की आड में दीगर जगह रहन बय हिबा लीज आदि से मुंन्तकिल नहीं करें, दौराने वादी मौका एवं रिकार्डस की यथावत स्थिति कायम रखें। खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

प्रमाणित प्रति

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

दो रुपये TWO RUPEES
FOR COPYING FEES ONLY

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये नोटिस सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया।

प्रतिवादी 3 की तामील होने के बावजूद उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी 1 की ओर से जवाब पेश नही किया गया।

प्रतिवादी 2 की ओर से जवाब पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 61 वादीगण की खरीदशुदा आराजी नहीं है। उसे वाद में बेजा विवादित आराजी बनाया है। प्रतिवादीगण ने आराजी खसरा नम्बर 52 का बेचान किया गया है। खसरा नम्बर 61 का जवाबदारान ने दिनांक 03.01.1996 को बेचान नहीं किया है। वादीगण फर्जकारी प्रवृति के लोग है जिन्होने आराजी खसरा नम्बर 52 के साथ आराजी खसरा नम्बर 61 का बेचान लिखाया है वादीगण ने फर्जीवाडा करके रजि0/बय में अंकित कराया है। वास्तव में हम प्रतिवादी सं 2 ने आराजी खसरा नम्बर 61 का बेचान वादीगण को नहीं किया । ना ही आराजी खसरा नम्बर 61 का कोई प्रतिफल राशि प्राप्त की है ना ही हम प्रतिवादीगण ने आराजी खसरा नम्बर 61 का कोई कब्जा वादीगण को दिया है। आराजी खसरा नम्बर 61 पर हम जवाबदारान प्रतिवादी सं0 1 व 2 काबिज व दखिल है। जब वादीगण आराजी खसरा नम्बर 52 के साथ आराजी खसरा नम्बर 61 का भी इन्तकाल वादीगण अपने नाम चढवाने लगे तो हम जवाबदारान को मालूम होने पर हम जवाबदारान ने वादीगण से कहा कि हमने आपको खसरा नम्बर 52 बेचान किया है खसरा नम्बर 61 का बेचान नहीं किया है यदि कोई इन्तकाल खसरा नम्बर 61 का अपने नाम चढवाया गया तो हम जवाबदारान वादीगण के विरुद्ध फौजदारी मुकदमा करेंगे, तब यह तय हुआ कि वादीगण केवल आराजी खसरा नम्बर 52 की ही इन्तकाल अपने नाम चढवायेगे। तब जाकर खसरा नम्बर 52 का ही इन्तकाल वादीगण के नाम चढा व खसरा नम्बर 61 का इन्तकाल वादीगण के नाम नहीं चढा। इसलिये चौसाला जमाबन्दी 2054 में आराजी खसरा नम्बर 61 का इन्तकाल अमल वादीगण के नाम नही चढा। खसरा नम्बर 61 पर वादीगण का कोई कब्जा नहीं है। हम प्रतिवादीगण के नाम पूर्व इन्द्राज की पुनरावृति सही हुई है। जिस पर हम जवाबदार मौके पर काबिज व दखिल है। वादीगण का विवादित आराजी खसरा नम्बर 61 पर कोई कब्जा नहीं है वो गैरकाबिज व गैरवास्ता आराजी है। वादीगण अपने नाम का बतौर खातेदार दर्ज कराने के अधिकारी नहीं है दावा काबिल खारिज है। वादीगण बाहर के अवश्य है परन्तु पैसे वाले व्यक्ति है । जो पैसे के बल पर आराजी खसरा नम्बर 52 के साथ साथ आराजी खसरा नम्बर 61 का इन्तकाल अपने नाम पटवारी से मिलकर चढवाना चाहते है। खसरा नम्बर 61 का बेचान ही नहीं किया तो राजस्व रिकार्ड में अमल वादीगण का होने का सवाल ही नही होता। दिनांक 15.12.0212 की कहानी गलत बयान की है प्रतिवादी सं0 3 को सही तौर पर बन्धक रखा हुआ है। वादीगण कोई रहन मुर्तहन का इन्तकाल दुरुस्त कराने का अधिकारी नहीं है। ना ही वादी अपने आपको खातेदार दर्ज कराने के अधिकारी है। विवादित आराजी पर हम जवाबदारान मौके पर काबिज व दखिल हैं। हम जवाबदारान को अपनी

उप खण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

खातेदारी की आराजी का उपयोग उपभोग बेचान करने का हर हक व अधिकार प्राप्त है। दिनांक 19.012.2012 को वादीगण की हम प्रतिवादीगण से कोई बात नहीं हुई। इसलिये उन्हें कोई क्षति नहीं हो रही है। वादीगण हम जवाबदारान खातेदारान को हुक्मइम्तनाईदवामी से पाबन्द कराने के अधिकारी नहीं है। दिनाक 15.12.2012 या 19.12.2012 व अन्य किसी रोज वादीगण को कोई बिनायदावी बिनायमुखासमत पैदा नही होती। वादी वादीगण बेरुन मियाद पेश किया है। वाद वादीगण मय खर्चा खारिज किये जाने योग्य है। अतः वादीगण का वाद खारिज किया जावे।

वाद में निम्न प्रकार तनकीयात कायम की गई।

तनकी संख्या–1

आया वादीगण विवादित आराजी हाल खसरा नं0 52 रकबा 0.12 बीघा व खसरा नम्बर 61 रकबा 2.14 बीघा वाके ग्राम खेडी मिन वादीगण की खरीदशुदा कब्जे काश्त की आराजी है। वक्त खरीद से मिन वादीगण विवादित आराजी पर काबिज काश्त है।

–जिम्में वादीगण

तनकी संख्या–2

आया वादीगण विवादित आराजी का विधि पूर्वक इन्तकाल सं0 354 दिनांक 29.01.1996 को मिन वादीगण के नाम दर्ज वो स्वीकार हुआ। लेकिन जमाबन्दी सं0 2054 में प्रतिवादी खसरा नं0 61/2.14 बीघा प्रतिवादीगण के नाम गलत दर्ज हो गई जिसे मिनवादीगण हजफ कराने के अधिकारी है।

–जिम्मे वादीगण

तनकी संख्या–3

आया वादीगण विवादित आराजी खसरा नम्बर 61 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा से प्रतिवादीगण का नाम हजफ कर मिन वादीगण के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज कराने एवं प्रतिवादीगण को जर्ये हुक्मइम्तनाई चन्दरोजा से पाबन्द कराने के अधिकारी है।

–जिम्मे वादीगण

तनकी संख्या –4

आया प्रतिवादीगण विवादित आराजीयात हाल खसरा नम्बर 52/0.12 बीघा का ही बेचान वादीगण को किया है। जबकि खसरा नं0 61/2.14 बीघा का बेचान प्रतिवादीगण ने वादीगण को नहीं किया और ना ही खसरा नं0 61 पर वादीगण का कब्जा काश्त है।

प्रमाणित प्रति
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

–जिम्मे प्रतिवादीगण सं0 2

तनकी संख्या– 5

आया प्रतिवादीगण विवादित आराजी हाल खसरा नं0 61/2.14 बीघा से वादीगण का कोई लेना देना नहीं है। खसरा नं.0 61 का बेचान वादीगण को नहीं किया। वादीगण ने जबरदस्ती बयनामा में खसरा नं0 61 का अंकन कराया है। वादीगण खसरा नं0 61 पर काबिज काश्त नहीं है इसलिऐ वादीगण किसी प्रकार का अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं है।

–जिम्मे प्रतिवादी सं 2

6. दादरसी :

वादीगण द्वारा दस्तावेजात प्रदर्श–1 बयनामा असल दिनांक 03.01.1996, प्रदर्श–2 नकल जमाबन्दी सम्वत 2050, प्रदर्श–3 नकल जमाबन्दी संवत 2054, प्रदर्श–4 नकल नामान्तकरण सं 354 की सत्यप्रतिलिपि, प्रदर्श–5 नकल जमाबन्दी संवत 2062–2065 पेश किये तथा साक्ष्यवादी पीडब्ल्यू 1 महीवीर, पीडब्ल्यू 2 दीवान के शपथपत्र पेश किये

प्रतिवादीगण द्वारा कोई दस्तावेज प्रदर्श पेश नही किये। व साक्ष्य प्रतिवादी डीडब्ल्यू–1 पूरण, डीडब्ल्यू– 2 सोमदत, डीडब्ल्यू– 3 बख्तावर, डीडब्ल्यू– 4 हंसराज व डीडब्ल्यू–5 सम्पतराम के शपथपत्र पेश किये।

उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

वादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में वाद के तथ्यों को दोहराते हुऐ कथन किया कि वादीगण ने विवादित आराजी खसरा नम्बर 52/0–14 बिस्वा व खसरा नम्बर 61/2–14 बीघा वाके ग्राम खेडी को प्रतिवादीगण लीलाराम पुत्र बुद्धा व रोशन पुत्र हरफूल जाति गूर्जर निवासी ग्राम खेडी तहसील कोटकासिम से प्रतिफल की राशि अदा कर जर्ये पंजीकृत बयनामा सं 23 दिनांक 03.01.1996 खरीद किया है। वक्त खरीद से ही वादीगण खरीदशुदा रकबे पर काबिज काश्त है। बयनामा से कय की गई आराजीयात का नामान्तकदरण सं0 354 दिनांक 29.01.1996 ग्राम खेडी दर्ज व स्वीकार किया गया, परन्तुं सम्वत 2054 की जमाबन्दी बनाते समय राजस्व कर्मचारियान ने नामा0 का अमल करते वक्त खसरा नम्बर 52 का अमल तो राजस्व रिकार्ड में कर दिया परन्तु खसरा नम्बर 61 अमल राजस्व रिकार्ड में नहीं किया। जो किन कारणों से नहीं किया । इसका कोई इन्द्राज या नोट ना तो इन्तकाल पर, ना ही जमाबन्दी पर अंकित किया है। खसरा नं0 61 का अमल राजस्व रिकार्ड में नही करके राजस्व कर्मचारियों ने गैर कानूनी कार्य किया है। जो वादीगण के कानूनी अधिकारों के खिलाफ किया है। वादीगण का खसरा नम्बर 61 का राजस्व रिकार्ड में नाम नहीं होने व प्रतिवादीगण के नाम होने की जानकारी 15.12.2012 को हुई जिससे नकलात व कानूनी सलाह

दो रुपये TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY

Scanned by CamScanner

लेकर दावा अन्दर मियाद पेश किया है इस अमल नहीं होने से प्रतिवादीगण विवादित आराजी ख0 नं0 61 को खुर्दबुर्द करने की जुस्तजु में है। इसलिये इनको जर्ये हुक्मइम्तनाइदवामी से पाबन्द किया जाना निहायत जरुरी है। अतः निवेदन है कि दावा वादीगण डिक्री किया जावे। विवादित आराजी पर से प्रतिवादीगण का नाम कलमजन किया जावे व प्रतिवादीगण को हुक्मइम्तनाईदवामी से पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रतिवादीगण द्वारा मात्र खसरा नम्बर 52 का ही बेचान किया है। वादीगण का विवादित आराजी खसरा नम्बर 61 से कोई लेना देना नहीं है। ना ही कब्जा काश्त विवादित खसरा नम्बर 61 पर वादीगण का है। वादीगण ने जबरदस्ती ख0नं0 61 का बयनामा में अंकन फर्जी तरीके से कराया है। हम प्रतिवादीगण द्वारा खसरा नम्बर का बेचान नही किया है। जो अंकन बयनामा का नल एण्ड वोइड है। विवादित आराजी पर हम प्रतिवादीगण काबिज काश्त है। अतः वादीगण का दावा खारिज किया जावे।

बहस पर विचारोपरान्त तनकीयात का निर्णय निम्न प्रकार किया जाता है।

तनकी संख्या–1

आया वादीगण विवादित आराजी हाल खसरा नं0 52 रकबा 0.12 बीघा व खसरा नम्बर 61 रकबा 2.14 बीघा वाके ग्राम खेडी मिन वादीगण की खरीदशुदा कब्जे काश्त की आराजी है। वक्त खरीद से मिन वादीगण विवादित आराजी पर काबिज काश्त है।

–जिम्में वादीगण

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण की ओर से विवादित आराजी ख0नं0 52/0–12 व ख0नं0 61/2–14 बीघा ग्राम खेडी का दस्तावेज बयनामा पेश किया गया। जिसमें विवादित आराजियात का बेचान लीला पुत्र बुद्धा व रोशन पुत्र हरफूल जाति गूर्जर निवासी खेडी तहसील कोटकासिम द्वारा किया गया है उक्त आराजी के बेचान का बयनामा उपपंजीयक किशनगढबास के द्वारा दिनांक 03.01.1996 को कम संख्या 23 पर उनके कार्यालय में पंजीबद्ध किया गया है। जिसमें विकेता द्वारा केतागण/वादीगण के कब्जा सम्भलाने का उल्लेख किया गया है व तभी से वादीगण केतागण काबिज है। उक्त दोनो खसरा नम्बरान का नामान्तकरण संख्या 354 वाके ग्राम खेडी भी दर्ज व स्वीकार हो चुका है। अतः विवादित आराजी वादीगण की कब्जे काश्त की आराजी बखूबी साबित है। यह तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या–2

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

आया वादीगण विवादित आराजी का विधि पूर्वक इन्तकाल सं0 354 दिनांक 29.01.1996 को मिन वादीगण के नाम दर्ज वो स्वीकार हुआ। लेकिन जमाबन्दी सं0 2054 में प्रतिवादी खसरा नं0 61/2.14 बीघा प्रतिवादीगण के नाम गलत दर्ज हो गई जिसे मिनवादीगण हजफ कराने के अधिकारी है।

–जिम्मे वादीगण

इस तनकी को साबित करने की जिम्मेदारी वादीगण की है। वादीगण के पक्ष में क्रय शुदा विवादित आराजीयात का नामान्तकरण सं0 354 दर्ज किया जाकर दिनांक 29.01.196 को विधिवत ग्राम पंचायत खानपुर अहीर द्वारा स्वीकार किया गया है। जिसमें विवादित आराजी खसरा नम्बर 52 व 61 का बेचान लीलाराम पुत्र बुद्धा व रोशन पुत्र हरफूल द्वारा वादीगण के हक में किया गया है। जिसका इन्तकाल सं0 354 दर्ज व स्वीकार हो चुका है। नामा0 के ख0नं0 52 का राजस्व रिकार्ड में अमल हो चुका है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा ख0नं0 61 का बिला वजह बिना किसी आदेश के विवादित आराजी खसरा नम्बर 61 का अमल राजस्व रिकार्ड में नहीं किया। जबकि बयनामा का नामान्तकरण स्वीकार हो चुका था। बयनामा के नामान्तकरण अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन ना करके प्रतिवादीगण के नाम ही गलत अमल कर दिया गया। जिस पर प्रतिवादीगण का बेचान के बाद कोई हक व हकूक कानूनी नही रह जाते है। इसलिये कानूनन वादीगण विवादित आराजी खसरा नम्बर 61 के राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादीगण के नाम का अमल को हजफ करवाने के अधिकारी हैं। अतः यह तनकी वादीगण के हक में तय की जाती है।

तनकी संख्या–3

आया वादीगण विवादित आराजी खसरा नम्बर 61 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा से प्रतिवादीगण का नाम हजफ कर मिन वादीगण के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज कराने एवं प्रतिवादीगण को जर्ये हुक्मइम्तनाई चन्दरोजा से पाबन्द कराने के अधिकारी है।

–जिम्मे वादीगण

इस तनकी को साबित करने की जिम्मेदारी वादीगण की है। तनकी सं0 2 वादीगण के हक में निर्णित की गई है। जिस पर वादीगण प्रतिवादीगण का नाम हजफ करवाने के अधिकारी साबित है। प्रतिवादीगण द्वारा विवादित आराजी पर कोई मजाहमत व मदाखलत की जाती है तो वादीगण के अधिकारों का हनन होने की संभावना है। अत : वादीगण प्रतिवादीगण को जर्ये हुक्मइम्तनाई से पाबन्द कराने के भी अधिकारी है। यह तनकी भी वादीगण के हक में तय की जाती है।

तनकी संख्या –4

प्रमाणित प्रति
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

आया प्रतिवादीगण ने विवादित आराजीयात हाल खसरा नम्बर 52/0.12 बीघा का ही बेचान वादीगण को किया है। जबकि खसरा नं0 61/2.14 बीघा का बेचान प्रतिवादीगण ने वादीगण को नहीं किया और ना ही खसरा नं0 61 पर वादीगण का कब्जा काश्त है।

—जिम्मे प्रतिवादीगण सं0 2

इस तनकी को साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादी सं 2 के जिम्मे है। प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब में कथन किया है कि उनके द्वारा केवल ख0नं0 52 का ही बेचान किया गया है ख0नं0 61 का बेचान नही किया गया है। इस तथ्य को साबित करने के लिये प्रतिवादीगण की ओर से ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया गया। जिससे साबित हो सके कि उनके द्वारा खसरा नम्बर 61 का बेचान नहीं किया गया। बल्कि दस्तावेज बयनामा संख्या 23 दिनांक 03.01.1996 से बखूबी साबित है कि प्रतिवादीगण लीलाराम व रोशन द्वारा जर्ये बयनामा विवादित ख0नं0 61 का भी बेचान किया है। जो बयनामा उपपंजीयक कार्यालय कि0बास कार्यालय द्वारा विधिवत पंजीबद्ध किया गया है। जिसकी सत्यता पर कोई सन्देह नही किया जा सकता। रही कब्जे के सम्बन्ध में तो, कब्जे का प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को कब्जा सम्भलाने का स्पष्ट उल्लेख बयनामा में किया गया है। तो वादीगण का कब्जा नही होने के सम्बन्ध में ऐसा कोई तथ्य भी नही प्रतीत है कि कोई कीमत अदा कर जमीन खरीदे व कब्जा ना लेवे। ना ही प्रतिवादीगण की ओर से ऐसा कोई लगान आदि अदा करने सम्बन्धी कोई रसीदात आदि पेश की, जिससे प्रतिवादीगण का कथन सत्य हो सके। यह तनकी विरुद्ध प्रतिवादीगण बहक वादीगण तय की जाती है।

तनकी संख्या– 5

आया प्रतिवादीगण विवादित आराजी हाल खसरा नं0 61/2.14 बीघा से वादीगण का कोई लेना देना नहीं है। खसरा नं.0 का बेचान वादीगण को नहीं किया। वादीगण ने जबरदस्ती बयनामा में खसरा नं0 61 का अंकन कराया है। वादीगण खसरा नं0 61 पर काबिज काश्त नहीं है इसलिऐ वादीगण किसी प्रकार का अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं है।

—जिम्मे प्रतिवादी सं 2

यह तनकी जिम्मे प्रतिवादी है जब यह बात बयनामा दिनांक 03.01.1996 व नामान्तकरण सं0 354 दिनांक 29.01.1996 से साबित है कि विवादित ख0नं0 61 का भी बेचान प्रतिवादीगण द्वारा किया जा चुका है तथा बयनामा के अनुसार प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को वक्त बयनामा ही कब्जा दिया जाने का उल्लेख है तो वादीगण का यह कहना कि उनके द्वारा खसरा नम्बर 61 का बेचान नहीं किया गया, सत्य नहीं है। बयनामा में जबरदस्ती लिखवाया बताया तो इसके खिलाफ प्रतिवादीगण द्वारा कोई कानूनी कार्यवाही की गई हो तो ऐसा कोई साक्ष्य भी पेश नहीं किया। जिससे यह साबित हो सके कि बयनामा में खसरा

उप खण्ड अधिकारी

.।।बर 61 जबरदस्ती से लिखाया हो बल्कि वादी द्वारा बक्त खरीद से काबिज है। यह बात बयनामें से ही पूर्णतया साबित है। इसलिये वादीगण राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण का नाम कलमजन कराने के अधिकारी है। यह तनकी विरुद्ध प्रतिवादीगण बहक वादीगण तय की जाती है।

6. दादरसी : कोई नही है।

बहस व तनकीयात के विवेचनानुसार वादीगण विवादित आराजी के खातेदारी काश्तकारी पाने के अधिकारी साबित है व प्रतिवादीगण को हुक्मईम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत है।

आदेश

वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है विवादित आराजी खसरा नम्बर 61 वाके ग्राम तहसील कोटकासिम जिला अलवर के राजस्व रिकार्ड से वर्तमान प्रविष्टि प्रतिवादीगण लीलाराम पुत्र बुद्धा व रोशन पुत्र हरफूल जाति गूर्जर निवासी खेडी तहसील कोटकासिम को कलमजन किया जाता है तथा इसके स्थान पर वादीगण को बयनामा व नामान्तकरण में दर्ज हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार अमल दरामद किया जावे। (ब)प्रतिवादीगण को हुक्मईम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित खसरा नम्बर 61 पर वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत ना करे। प्रतिवादी 3 ऋण की राशि की भरपाई हेतु सक्षम कार्यवाही के लिये स्वतन्त्र रहेगें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.03.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

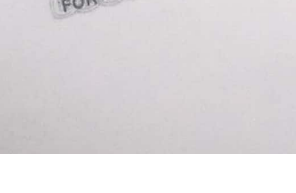

Scanned by CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी: बलवन्तसिंह लिग्री आर.ए.एस

राजस्व वादपत्र सं0	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
324/2012	28.12.2012	8.3.16

उनवान

1. जगदीश
2. सुभाष
3. दीवान पुत्रान लालसिंह जाति यादव
4. इन्दरपाल
5. जतनपाल पुत्रान रामकंवार
6. रामकंवार पुत्र ननवांराम यादव
7. महावीर पुत्र ननवांराम यादव
8. सारलीदेवी पत्नि महावीर
9. श्यामबीर पुत्र महावीद यादव जाति निवासी खेडकी हाल मानेसर तहसील मानेसर जिला गुडगावा हरियाना।

:– वादीगण

बनाम

1. लीलाराम पुत्र बुद्धा(फौत)
1/1 सोमदत
1/2 पूर्णसिंह
1/3 धर्मसिंह पुत्रान लीलाराम जाति गूर्जर निवासी खेडी तह0 कोटकासिम जिला अलवर राज0।
1/4 छोटा
1/5 धोली
1/6 सुमन पुत्रीयान लीलाराम निवासी खेडी तह0कोटकासिम जिला अलवर राज0
2. रोशन पुत्र हरफूल जाति गूर्जर निवासी खैडी तह0कोटकासिम जिला अलवर राज0
3. शाखा प्रबन्धक एस बी बी जे शाखा खैरथल।

:– प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज
वो अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित:
1. श्री मनोज यादव अधिवक्ता, वादीगण
2. श्री राकेशकुमार अधिवक्ता प्रतिवादी

आदेश

वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है विवादित आराजी खसरा नम्बर 61 वाके ग्राम तहसील कोटकासिम जिला अलवर के राजस्व रिकार्ड से वर्तमान प्रविष्टि प्रतिवादीगण लीलाराम पुत्र बुद्धा व रोशन पुत्र हरफूल जाति गूर्जर निवासी खेडी तहसील कोटकासिम को कलमजन किया जाता है तथा इसके स्थान पर वादीगण को बयनामा व नामान्तकरण में दर्ज हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार अमल दरामद किया जावे। (ब)प्रतिवादीगण को हुक्मईम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित खसरा नम्बर 61 पर वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत ना करे। प्रतिवादी 3 ऋण की राशि की भरपाई हेतु सक्षम कार्यवाही के लिये स्वतन्त्र रहेगें।। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

पर्चा डिकी आज दिनांक 08.03.2016 को मेरे हस्ताक्षर व मुहर न्यायालय से जारी की जाती है।

11

FOR COPYING FEES ONLY

Scanned by CamScanner